भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन (हीप), रानीपुर, हरिद्वार- 249403 (उत्तराखण्ड)

परिपत्र

मा. सं. / भर्ती / ट्रेड अप्रेंटिस / अप्रैल 2017/100 — दिनांक : 25/01/2017

बी.एच.ई.एल. हरिद्वार इकाई निम्नलिखित अर्हताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से ट्रेड (आई.टी.आई.) अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण अप्रैल 2017 बैच के लिए आवेदन आमंत्रित करती है :-

क्रम सं.	व्यवसाय	रिक्तियों की संख्या	आयु सीमा (1 अप्रैल 2017 को) एवं छूट	न्यूनतम योग्यता
1	फिटर	89	• न्यूनतम:18 वर्ष • अधिकतम: सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 27 वर्ष, अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 30 वर्ष एवं अनु. जाति/ जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 32 वर्ष • 40% या उससे अधिक शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों (अस्थि बाधित/श्रवण बाधित/दृष्टि बाधित) को अपने वर्ग में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।	हाई स्कूल उत्तीर्ण एवं एन.सी.वी.टी. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से वर्ष 2014, 2015 व 2016 में आई.टी.आई. नियमित अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे। वेल्डर तथा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एस.सी.वी.टी. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से वर्ष 2014, 2015 व 2016 में आई.टी.आई. नियमित अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं।
2	टर्नर	31		
3	मशीनिष्ट	82		
4	वैल्डर	24		
5	इलैक्ट्रीशियन	21		
6	ड्राफ्ट्समैन (मैके.)	03		
7	मोटर मैके. वेहिकल	01		
8	इलेक्ट्रॉनिक्स (मैके.)	02		
9	पैटर्न मेकर	02		
10	फोर्जर एण्ड हीट ट्रीटमेंट	04		
11	फाऊण्ड्रीमैन	08		

<u>नोट:</u> ऊपर दी गयी रिक्तियों की संख्या अनुमानित है तथा अंतिम आकलन के आधार पर रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी संभव है।

महत्त्वपूर्ण निर्देश

- प्रशिक्षण अवधि क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय (RDAT) कानपुर, द्वारा दिये गये निर्देशानुसार होगी।
- अभ्यर्थियों का NCVT MIS Portal पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। कृपया इसके लिये https://ncvtmis.gov.in/ वेबसाईट देखें। NCVT MIS Portal पर पंजीकरण करने के बाद वेबसाइट द्वारा या ईमेल पर प्राप्त पंजीकरण संख्या (Registration No.) का प्रिंटआउट लेकर अवश्य रखें, क्योंकि इसे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। NCVT MIS Portal पर पंजीकरण करने के उपरांत NCVT MIS Portal पर 'Establishment Search' में जाकर भेल हरिद्वार में उपलब्ध सीटों के अनुसार apply भी करें।
- प्राप्त पंजीकरण संख्या (Registration No.) उपरोक्त प्रशिक्षण के लिये बी.एच.ई.एल. हरिद्वार कैरियर वेबसाईट https://careers.bhelhwr.co.in पर **"Engagement of Trade Apprenticeship for April'2017, BHEL Haridwar"** के अन्तर्गत उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र (APPLY ONLINE) भरते समय आवश्यक है।
- अभ्यर्थियों के आई.टी.आई. का जिला सेवायोजन कार्यालय हरिद्वार में नामांकन होना अनिवार्य है, किन्तु टर्नर, मशीनिष्ट, पैटर्न मेकर एवं फोर्जर एण्ड हीट ट्रीटमेंट व्यवसाय के लिए जिला सेवायोजन कार्यालय हरिद्वार के अलावा भारत के किसी भी राज्य / जिले के सेवायोजन कार्यालयों में आई.टी.आई. पंजीकृत अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
- अनु. जनजाति वर्ग (Scheduled Tribe) के अभ्यर्थी जिनका उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हो, वे आवेदन कर सकते हैं।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का दिनांक 01.04.2015 से पुराना जाति प्रमाण पत्र (OBC certificate) या जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, मान्य नहीं होगा।

- ❖ अभ्यर्थियों को NCVT बोर्ड से ही आई.टी.आई. उत्तीर्ण किया होना चाहिए, परन्तु इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स (मैके.) तथा वेल्डर ट्रेड के SCVT बोर्ड से आई.टी.आई. उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन करने के पात्र होंगे।
- ❖ वे अभ्यर्थी जिन्होने आई.टी.आई. व्यक्तिगत अभ्यर्थी (as a private candidate) के रूप में किया है, वे उपरोक्त प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- ❖ वर्ष 2014, 2015 या 2016 में आई.टी.आई. उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनको बोर्ड द्वारा अंकपत्र प्राप्त हो गया है, ही आवेदन करने के पात्र होंगे। वे अभ्यर्थी जिन्हे आई.टी.आई. का परीक्षाफल / अंकपत्र बोर्ड द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है, आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

<u>नोट:</u> बी.एच.ई.एल. हरिद्वार के कर्मचारियों (कार्यरत/सेवानिवृत/मृतक) के आश्रितों के लिए किसी भी जिला सेवायोजन कार्यालय में नामांकन होना अनिवार्य नहीं है तथा आई.टी.आई. उत्तीर्ण वर्ष में 3 वर्ष तक अतिरिक्त छूट का प्रावधान है, परंतु NCVT MIS Portal पर पंजीकरण तथा। NCVT MIS Portal पर 'Establishment Search' में जाकर बी.एच.ई.एल. हरिद्वार में उपलब्ध सीटों के अनुसार apply करना अनिवार्य है।

- ❖ अनु. जनजाति व अनु. जाति वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन अप्रैन्टिस एक्ट के नियमानुसार उत्तराखण्ड राज्य के लिए निर्धारित कुल सीटों के क्रमशः 1:3 व 1:6 के अनुपात में होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उत्तराखंड राज्य सरकार के नियमानुसार दिया जाएगा।
- ❖ वे अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र हैं, जो आई.टी.आई. उत्तीर्ण करने के उपरान्त एक वर्ष या उससे अधिक किसी भी प्रकार के सरकारी / अर्द्ध सरकारी / निजी / संविदा अथवा अन्य किसी भी प्रकार के रोजगार में संलग्न नहीं रहे हों तथा आई.टी.आई. करने के उपरान्त अभ्यर्थी ने अन्य किसी भी संस्थान से प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो या न तो कर रहा हो।

<u>Stipend:</u>

सभी चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि के प्रथम वर्ष में consolidated stipend उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा अर्धकुशल कामगारों के लिए निर्धारित प्रति माह वेतन का 80% या 90% (यथालागू) तथा द्वितीय वर्ष (यदि लागू हो तो) के लिए 90% देय होगा।

<u>स्वास्थ्य:</u>

आवेदक का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व दिये गये प्रारूप पर सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों की नियुक्ति अप्रेंटिस एक्ट 1961 व समय-समय पर हुए संशोधन द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य मानकों पर खरा उतरने पर निर्भर करती है।

<u>चयन प्रक्रिया:</u>

1. **10 से अधिक रिक्तियों वाले व्यवसायों हेतु अभ्यर्थियों का चयन आई.टी.आई. एवं हाई स्कूल में प्राप्त अंकों (आई.टी.आई. अंकों का 70% वेटेज व हाई स्कूल अंकों का 30% वेटेज लेते हुए) के मेरिट के आधार पर 1:1.15 के अनुपात में साक्षात्कार हेतु बुलाकर किया जायेगा अर्थात चयन हेतु लिखित परीक्षा की प्रक्रिया नहीं होगी।** अभ्यर्थियों का अप्रेंटिस हेतु अंतिम चयन उपरोक्त मेरिट (आई.टी.आई. अंकों का 70% वेटेज व हाई स्कूल अंकों का 30% वेटेज लेते हुए) का 70% तथा साक्षात्कार का 30% अंक के आधार पर किया जाएगा। आई.टी.आई. एवं हाई स्कूल में प्राप्त अंकों के भारित औसत में समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
2. **जिस वयवसाय में रिक्तियों की संख्या 10 या 10 से कम है, उनके लिए अभ्यर्थियों का चयन उपरोक्त आधार पर सीधे मेरिट बनाते हुए किया जाएगा तथा साक्षात्कार नही होगा।**
3. यदि किसी व्यवसाय में योग्य अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से कम या बराबर होती है तो सभी योग्य अभ्यर्थियों को सीधे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा।

- ❖ आवेदन से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिये दूरभाष संख्या 01334-28-5835 पर संपर्क किया जा सकता है।

<u>आवेदन कैसे करें</u>

- ❖ उपरोक्त प्रशिक्षण के लिये NCVT MIS Portal पर पंजीकरण करने के उपरांत, बी.एच.ई.एल. हरिद्वार कैरियर वेबसाईट https://careers.bhelhwr.co.in द्वारा **"<u>Engagement of Trade Apprenticeship for April'2017, BHEL Haridwar</u>"** के अन्तर्गत उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र (APPLY ONLINE) भरें।

- इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार आवेदन को भरने, जमा करने तथा चयन से संबंधित सभी दिशा निर्देशों से संबंधित जानकारी के लिए दिये गये निर्देशानुसार कार्य करें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय अभ्यर्थियों को अपना **30 kb तक का .jpg या .jpeg प्रारूप** में स्कैन नवीनतम पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो अपलोड करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद पावती पत्र (Acknowledgement Slip) एवं **सामान्य निर्देश** में उल्लेखित अन्य दस्तावेजों को अंतिम तिथि के पहले भेजना होगा। अंतिम तिथि के बाद किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार्य होंगे।
- **वेबसाईट https://careers.bhelhwr.co.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे बिना, या फोटो अपलोड किए बिना या दर्शाये गये उपरोक्त दस्तावेज एवं पावती पत्र (Acknowledgement Slip) के बिना जमा किये गये आवेदन अस्वीकार्य होंगे**। इस संबंध में बिना भरे अथवा अधूरे आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।
- बी.एच.ई.एल. हरिद्वार कैरियर वेबसाईट से ऑनलाइन आवेदन पत्र को पूर्णतया भरने के उपरांत ऑनलाइन प्राप्त पावती पत्र (Acknowledgement Slip) का प्रिंट आउट लें तथा **सामान्य निर्देश** में उल्लेखित अन्य दस्तावेजों के साथ लिफाफे में डाल कर एवं उसके ऊपर **"ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षण अप्रैल 2017 हेतु आवेदन पत्र"** लिख कर दिनांक **14.02.2017 तक** निम्नलिखित पते पर **डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से** (स्वयं) जमा करना होगा।

उप महाप्रबंधक (मा. सं.- भर्ती),
कक्ष सं. 29, मानव संसाधन विभाग
मुख्य प्रशासनिक भवन, बी.एच.ई.एल., हीप,
रानीपुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) -249403

<u>**नोट:**</u> बी.एच.ई.एल. हरिद्वार के कर्मचारियों (कार्यरत/सेवानिवृत/मृतक) के आश्रितों के लिए पावती पत्र (Acknowledgement Slip) एवं **सामान्य निर्देश** में उल्लेखित अन्य दस्तावेजों के साथ **"Form for Employee Ward"** भी जमा करना होगा।

<u>सामान्य निर्देश</u>

- अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे उपरोक्त प्रशिक्षण हेतु निर्धारित अनिवार्य योग्यता धारण करते हैं। यदि चयन के किसी भी चरण में या चयन के उपरांत यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्हताओं को पूर्ण नहीं करता है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य एवं संलग्न दस्तावेज सत्य एवं सही नहीं है तो आवेदक की उम्मीदवारी/ नियुक्ति किसी भी समय बिना किसी कारण बताए निरस्त की जा सकती है।
- सभी अभ्यर्थियों को अपने निम्न दस्तावेज (self-attested photocopy) पावती पत्र के साथ संलग्न करके दिनांक **14.02.2017 तक व्यक्तिगत रूप से / डाक द्वारा जमा कराने होंगे:**

    1. हाई स्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र,
    2. आई.टी.आई. अंक तालिका,
    3. सेवायोजन कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र ,
    4. NCVT MIS Portal द्वारा पंजीकरण के उपरांत वेबसाइट द्वारा प्राप्त (पंजीकरण करने के उपरांत इस Portal द्वारा एक pop-up message आता है, जिसमें इनका Registration No. अंकित होता है) या ईमेल पर प्राप्त Registration No. की कॉपी,
    5. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो),
    6. शारीरिक रूप से अक्षमता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो),
    7. मान्य फोटो आईडी कार्ड (मतदाता पहचान कार्ड/पासपोर्ट/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड)।